न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/298/2006/सवाई माधोपुर

1– श्री हरी पुत्र श्री रामहेत मीणा
2– श्री श्यामलाल पुत्र श्री रामहेत मीणा, निवासी उदयखुर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

------ अपीलांट/वादीगण

बनाम

1– श्री कपूरचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण महाजन, निवासी उदयखुर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

------ उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री जगदम्बा प्रसाद, अभिभाषक अपीलांट
(2) रेस्पो0 सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
(3) श्री एस.पी. औझा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय **दिनांक :– 28.01.2025**

अपीलांट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट हरी वगैरह की ओर से विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के समक्ष एक दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि खसरा नं0 28 में से 1 बीघा भूमि वादी के पिता की आवंटनशुदा भूमि है जिसका नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 10–06–1974 को तस्दीक हुआ। उसके बाद इसी नंबर में से

शेष 4 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1 को आवंटन हुआ। अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि का नवीन नंबर 119, 120 व 132 बना है, किन्तु गलत प्रकार से प्रतिवादी के पिता ने अपने नाम करा लिया जबकि भूमि पर अपीलांट के पिता का ही कब्जा चला आ रहा है। खसरा नं0 132 से प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः दावा वादी डिक्री किया जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–12–2003 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रथम अपील सं0 19/2004 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03–01–2006 से अपील अपीलांट खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 03–01–2006 के विरूद्ध अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3– उभयपक्षकारान की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि भूमि खसरा नं0 28 में से 1 बीघा भूमि का नियमन नामान्तरकरण सं0 20 से दिनांक 10–06–1974 को अपीलांट के पिता रामहेत के पक्ष में तस्दीक हुआ, तत्पश्चात् वादीगण के पिता को भूमि खसरा नं0 28 में से ही 1 बीघा भूमि का आवंटन 29–06–1976 को आवंटन हुआ और शेष 4 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन प्रतिवादी सं0 1 कपूरचन्द को हुआ। वादीगण के पिता की आवंटित भूमि का नवीन नंबर भू–प्रबन्ध में 119, 120 एवं 132 बना, किन्तु प्रतिवादी सं0 1 कपूरचन्द ने भू–प्रबंध अधिकारियों से मिलकर वादी की उक्त भूमि का इन्द्राज बतौर खातेदार अपने नाम करा लिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध विभाग की उक्त कार्यवाही पूर्णतया अवैध है। आवंटन के समय से ही भूमि खसरा नं0 119, 120, 132 पर वादीगण के बुजुर्गान का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 कपूरचन्द का भूमि खसरा नं0 132 से कोई संबंध नहीं है। वादीगण ने नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2039, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 47, नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल साबिक व हाल नक्शा ट्रेस की छायाप्रतियां विचारण

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03–01–2006 एवं उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–12–2003 खारिज किये जाकर वादी का वाद खसरा नं0 119, 120 व 132 डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5– इसके विरूद्ध विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिये कि विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है क्योंकि वादी/अपीलांट द्वारा खसरा नं0 132 का ही वाद प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त खसरा नंबर पर ही वादी/अपीलांट काबिज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण/अपीलांट ने नियमन के संबंध में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किये है, केवल नामान्तरकरण की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इसके अलावा किसी प्रकार का दस्तावेज/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण/अपीलांट को खसरा नं0 119 व 120 में 1–1 कुल 2 बीघा भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है। खसरा नं0 119 व 120 भूमि आसपास की है जबकि वादी द्वारा खसरा नं0 132 का क्लेम किया गया है। खसरा नं0 132 उक्त दोनों नंबरान से बहुत दूर है और इन नंबरान के बीच में कई अन्य नंबर है। जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में राजकीय भूमि खसरा नं0 28 मिन रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा में से 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 1 कपूरचन्द को व 1 बीघा भूमि वादीगण/अपीलांट के पिता को आवंटित हुई थी। वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं0 1 को हुये इस आवंटन के क्या बटा नंबर डाले गये। इस बाबत् वादीगण ने कोई दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। वादीगण द्वारा साबिक खसरा नं0 28 के तरमीमी नक्शा ट्रेस की नकले भी प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण ने अपने वादपत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उसके पिता के नाम पूर्व में कुल कितनी भूमि थी एवं वर्तमान

में कितनी भूमि उसे प्राप्त हुई। वादीगण ने अपने वादपत्र में खसरा नंबर 119, 120 व 132 की खातेदारी घोषणा चाही जबकि खसरा नं0 119 व 120 पूर्व से ही वादीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा नं0 132 पर वादीगण द्वारा कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज व स्वतन्त्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है जिस कारण वादीगण का वाद विचारण न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया है जिसकी प्रथम अपील वादीगण/अपीलांट द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 03–01–2006 से वादी/अपीलांट की अपील सही खारिज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की है। अतः इस द्वितीय अपील में कोई बल नहीं होने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने के आधार पर प्रश्नगत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03–01–2006 व उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–12–2003 यथावत् रखें जाते हैं।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य